

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT P.S. (थाना): C.P.S Jaipur Year (वर्ष): 2024
2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0253 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 08/11/2024 18:35 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	13(1)(a)
3	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	13(2)
4	भा दं सं 1860	120-B

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): दरमियानी दिन Date From (दिनांक से): 15/07/2019 Date To (दिनांक तक): 21/08/2021
- Time Period (समय अवधि): पहर Time From (समय से): 10:00 बजे Time To (समय तक): 17:00 बजे
- (b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 08/11/2024 Time (समय): 14:00 बजे
- (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 001 Date & Time (दिनांक एवं समय): 08/11/2024 18:35:31 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): NORTH, 02 किमी Beat No. (बीट सं.): NOT APPLICABLE
- (b) Address(पता): KARYALYA SACHIV, JILA KIRDA PRISHAD CHRU
- (c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)
- Name of P.S (थाना का नाम): District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): SABBIR KHAN

(b) Father's/Mother's/Husband's Name (पिता / माता / पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 12/02/1974 (d) Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पारपत्र, आधार कार्ड सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number
-------	---------	-----------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	VILLAGE DHANKOLI, MAULASAR, डीडवाना-कुचामन, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	VILLAGE DHANKOLI, MAULASAR, डीडवाना-कुचामन, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number

(दूरभाष न.):

Mobile (मोबाइल न.):

~~XXXXXXXXXX~~

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars

(ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	ISHWAR SINGH LAMBA		पिता: NARAYAN SINGH LAMBA	1. B-3, SECTOR NO.04, SAINIK BASTI, CHURU, RAJASTHAN, INDIA
2	OMVATI		पत्नी: ISHWAR SINGH LAMBA	1. B-3, SECTOR NO.04, SIANIK BASTI, CHURU, RAJASTHAN, INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/Informant

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)

(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
-----------------	-------------------------------------	------------------------------------	---------------------	--------------------------------

1	सिक्के और मुद्रा	रुपये	21,65,082.00
---	------------------	-------	--------------

10. Total value of property stolen(In Rs/-)
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 21,65,082.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)
--------------------	--------------------------------------

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)

(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, निवेदन है कि परिवार संख्या 08/2021 के सत्यापन से पाया गया कि वर्ष 2018-2019 में श्री ईश्वर सिंह लाम्बा जिला क्रीडा परिषद चूरू में सचिव पद पर कार्यरत थे। जिनके द्वारा जिला खेल स्टेडियम में खेल सामग्री क्रय करने में निम्नलिखित अनियमितताएँ की गई- 1. जिला क्रीडा परिषद चूरू के सचिव द्वारा टेबल टेनिस की खेल सामग्री क्रय करने हेतु निविदा संख्या 01/18-19 आमंत्रित की गई। निविदा की निर्धारित अवधि दिनांक 15.07.2019 तक तीन फर्मों द्वारा अपनी दरें प्रस्तुत की गई। फर्मों द्वारा प्रेषित निविदाओं को उपापन समिति के सदस्यों द्वारा दिनांक 16.07.2019 को खोला गया जिसमें तीन फर्म श्री श्याम इम्पेक्स जयपुर, स्वीटी आईटी स्पोर्ट्स मुम्बई व राज स्पोर्ट्स चूरू द्वारा भाग लिया गया। उपापन समिति द्वारा तीनों फर्मों में से फर्म श्याम इम्पेक्स जयपुर द्वारा प्रस्तुत निविदा दस्तावेजों में प्रोपराईटर के विनिर्माता अथवा अधिकृत विक्रेता/वितरक नहीं होने के दस्तावेजों के अभाव में फर्म को अपात्र घोषित किया गया तथा फर्म स्वीटी आईटी स्पोर्ट्स मुम्बई व फर्म राज स्पोर्ट्स चूरू की दरों का तुलनात्मक विवरण तैयार किया गया जिसमें फर्म राज स्पोर्ट्स की दर न्यूनतम होने के कारण जिला क्रीडा परिषद द्वारा दरों के अनुमोदन के पश्चात श्री ईश्वरसिंह लाम्बा सचिव द्वारा अपने पत्रांक 190 दिनांक 23.07.2019 राशि 5,04,200 रुपये की टेबल टेनिस सामग्री आपूर्ति करने हेतु फर्म राज स्पोर्ट्स चूरू को आदेश जारी कर 15 दिवस में आपूर्ति के आदेश दिये गये। आपूर्ति आदेश में सचिव द्वारा टेबिल टेनिस सामग्री के कोई विशेष मैक व स्पेशिफिकेशन आदि का उल्लेख नहीं किया गया। फर्म राज स्पोर्ट्स द्वारा आपूर्ति आदेश के अनुसार टेबिल टेनिस का सामान निर्धारित समयावधि 15 दिवस के उपरान्त 28 दिवस विलम्ब से दिनांक 21.08.2019 को सामान आपूर्ति कर अपना बिल प्रस्तुत किया जिसे सचिव श्री ईश्वरसिंह लाम्बा द्वारा इसी तारीख को स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज कर फर्म को उपरोक्त भुगतान किया गया। 2. सचिव जिला क्रीडा परिषद चूरू द्वारा टेबल टेनिस की खेल सामग्री क्रय करने हेतु निविदा संख्या 02/18-19 आमंत्रित की गई। निविदा की निर्धारित अवधि दिनांक 15.07.2019 तक तीन फर्मों द्वारा अपनी दरें प्रस्तुत की गई। फर्मों द्वारा प्रेषित निविदाओं को उपापन समिति के सदस्यों द्वारा दिनांक 16.07.2019 को खोला गया जिसमें तीन फर्म श्री श्याम इम्पेक्स जयपुर, सत्यम् टैरडर्स चूरू व राज स्पोर्ट्स चूरू द्वारा भाग लिया गया। उपापन समिति द्वारा तीनों फर्मों में से फर्म श्याम इम्पेक्स जयपुर एवं सत्यम् टैरडर्स चूरू द्वारा प्रस्तुत निविदा दस्तावेजों में प्रोपराईटर के विनिर्माता अथवा अधिकृत विक्रेता/वितरक नहीं होने के दस्तावेजों के अभाव में फर्म को अपात्र घोषित किया गया तथा फर्म राज स्पोर्ट्स चूरू की दरों का अवलोकन कर जिला क्रीडा परिषद द्वारा दरों के अनुमोदन के पश्चात श्री ईश्वरसिंह लाम्बा सचिव द्वारा अपने पत्रांक 191 दिनांक 23.07.2019 राशि 4,29,840 रुपये की टेबल टेनिस सामग्री आपूर्ति करने हेतु फर्म राज स्पोर्ट्स चूरू को आदेश जारी कर 15 दिवस में आपूर्ति के आदेश दिये गये। आपूर्ति आदेश में सचिव द्वारा टेबिल टेनिस सामग्री के कोई विशेष मैक व स्पेशिफिकेशन आदि का उल्लेख नहीं किया गया। फर्म राज स्पोर्ट्स द्वारा आपूर्ति आदेश के अनुसार टेबिल टेनिस का सामान निर्धारित समयावधि में आपूर्ति कर अपना बिल प्रस्तुत किया जिसे सचिव श्री ईश्वरसिंह लाम्बा द्वारा दिनांक 05.08.2019 को स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज कर फर्म को उपरोक्त भुगतान किया गया। 3. सचिव जिला क्रीडा परिषद चूरू द्वारा भारोतोलन खेल सामग्री क्रय करने हेतु निविदा संख्या 03/18-19 आमंत्रित की गई। निविदा की निर्धारित अवधि दिनांक 15.07.2019 तक तीन फर्मों द्वारा अपनी दरें प्रस्तुत की गई। फर्मों द्वारा प्रेषित निविदाओं को उपापन समिति के सदस्यों द्वारा दिनांक 16.07.2019 को खोला गया जिसमें तीन फर्म श्री श्याम इम्पेक्स जयपुर, सत्यम् टैरडर्स चूरू व राज स्पोर्ट्स चूरू द्वारा भाग लिया गया। उपापन समिति द्वारा तीनों फर्मों में से फर्म श्याम इम्पेक्स जयपुर एवं सत्यम् टैरडर्स चूरू द्वारा प्रस्तुत निविदा दस्तावेजों में प्रोपराईटर के विनिर्माता अथवा अधिकृत विक्रेता/वितरक नहीं होने के दस्तावेजों के अभाव में फर्म को अपात्र घोषित किया गया तथा फर्म राज स्पोर्ट्स चूरू की दरों का अवलोकन कर जिला क्रीडा परिषद द्वारा दरों के अनुमोदन के पश्चात श्री ईश्वरसिंह लाम्बा सचिव द्वारा अपने पत्रांक 192 दिनांक 23.07.2019 राशि 245102 रुपये की भारोतोलन सामग्री आपूर्ति करने हेतु फर्म राज स्पोर्ट्स चूरू को आदेश जारी कर 15 दिवस में आपूर्ति के आदेश दिये गये। आपूर्ति आदेश में सचिव द्वारा भारोतोलन सामग्री के कोई विशेष मैक व स्पेशिफिकेशन आदि का उल्लेख नहीं किया गया। फर्म राज स्पोर्ट्स द्वारा आपूर्ति आदेश के अनुसार भारोतोलन का सामान निर्धारित समयावधि में आपूर्ति न कर दिनांक 21.08.2019 को सामान आपूर्ति करते हुए अपना बिल प्रस्तुत किया जिसे

सचिव श्री ईश्वरसिंह लाम्बा द्वारा दिनांक 21.08.2019 को स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज कर फर्म को उपरोक्त भुगतान किया गया। 4. सचिव जिला क्रीडा परिषद चूरू द्वारा ऑपन जिम खेल सामग्री क्रय करने हेतु निविदा संख्या 04/18-19 आमंत्रित की गई। निविदा की निर्धारित अवधि दिनांक 15.07.2019 तक पांच फर्मों द्वारा अपनी दरें प्रस्तुत की गईं। फर्मों द्वारा प्रेषित निविदाओं को उपापन समिति के सदस्यों द्वारा दिनांक 16.07.2019 को खोला गया जिसमें पांच फर्म श्री श्याम इम्पेक्स जयपुर, ताज इण्डस्ट्रीज जयपुर, के राजन इण्डस्ट्रीज अलवर, भंवर कं0क0 जयपुर व राज स्पोर्ट्स चूरू द्वारा भाग लिया गया। उपापन समिति द्वारा पांचों फर्मों में से फर्म श्याम इम्पेक्स जयपुर व मै0 भंवर कं0क0 द्वारा प्रस्तुत निविदा दस्तावेजों में प्रोपराईटर के विनिर्माता अथवा अधिकृत विक्रेता/वितरक, जीएसटी पंजीयन, पैन नम्बर, डीलरशीप विवरण, कर चुकता प्रमाण पत्र आदि दस्तावेजों के अभाव में फर्मों को अपात्र घोषित किया गया तथा ताज इण्डस्ट्रीज जयपुर, के राजन इण्डस्ट्रीज अलवर व फर्म राज स्पोर्ट्स चूरू की दरों का तुलनात्मक विवरण तैयार जिला क्रीडा परिषद द्वारा दरों के अनुमोदन के पश्चात श्री ईश्वरसिंह लाम्बा सचिव द्वारा अपने पत्रांक 113 दिनांक 23.07.2019 राशि 985940 रुपये की ऑपन जिम खेल सामग्री आपूर्ति करने हेतु फर्म राज स्पोर्ट्स चूरू को आपूर्ति के आदेश दिये गये। आपूर्ति आदेश में सचिव द्वारा ऑपन जिम खेल सामग्री के कोई विशेष मैक व स्पेशिफिकेशन आदि का उल्लेख नहीं किया गया। फर्म राज स्पोर्ट्स द्वारा आपूर्ति आदेश के अनुसार ऑपन जिम खेल का सामान निर्धारित समयावधि में आपूर्ति न कर दिनांक 21.08.2019 को सामान आपूर्ति करते हुए अपना बिल प्रस्तुत किया जिसे सचिव श्री ईश्वरसिंह लाम्बा द्वारा दिनांक 21.08.2019 को स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज कर फर्म को उपरोक्त भुगतान किया गया। राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2013 के अनुसार किसी निविदा के लिए गठित समिति में शामिल किसी भी सदस्य के परिजन की फर्म निविदा में भाग नहीं ले सकती तथा वह अपात्र मानी जायेगी, जबकि फर्म राज स्पोर्ट्स श्री ईश्वरसिंह लाम्बा सचिव की धर्मपत्नी ओमवती के नाम से पंजीकृत है। सचिव द्वारा क्रय उक्त खेल सामग्री के संबंध में जिला कलक्टर चूरू के आदेश से एडीएम चूरू की अध्यक्षता में जांच करवाई गई तो उन्होने अपनी जांच रिपोर्ट में भी यह माना है कि फर्म राज स्पोर्ट्स की मालिक श्रीमती ओमवती लाम्बा है जो सचिव ईश्वर सिंह की पत्नी है। ईश्वर सिंह के उक्त समिति में सचिव होने के कारण उक्त फर्म अपात्र घोषित की जानी चाहिए थी। इस प्रकार श्री ईश्वर सिंह लाम्बा सचिव जिला क्रीडा परिषद चूरू हाल सेवानिवृत्त द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए फर्म राज स्पोर्ट्स चूरू की मालिक श्रीमती ओमवती से आपस में मिलीभगत कर उपरोक्त चारों निविदाओं से खेल सामग्री क्रय करने में आमंत्रित निविदा सूचना का प्रकाशन एसपीपीपी पोर्टल पर नहीं करना, उपापन समिति द्वारा निर्धारित संख्या से अधिक की बिना स्वीकृति सामग्री स्वयं के स्तर से क्रय करना, निविदा शर्तों का उल्लंघन करना एवं 10 लाख रुपये से अधिक की खरीद हेतु ई-उपापन पद्धति नहीं अपनाकर अलग-अलग खेल सामग्री को विभाजित कर दुर्भावनापूर्ण इरादे से निविदा आमंत्रित की गई ताकि निविदा की दरों में प्रतिस्पर्धा नहीं रहे। अति0 जिला कलक्टर चूरू की अध्यक्षता में की गई जांच रिपोर्ट में भी उन्होने उपरोक्त तथ्यों का उल्लेख करते हुए अनियमित तरीके से खेल सामग्री क्रय करना माना है। उक्त चारों निविदाओं की राशि 10 लाख रुपये से बढ़ाकर बिना स्वीकृति कुल राशि 21,65,082 रुपये की खेल सामग्री क्रय करने का कृत्य कर आरोपीगण द्वारा असम्यक लाभ प्राप्त किया गया है। श्री ईश्वर सिंह लाम्बा सचिव जिला क्रीडा परिषद चूरू हाल सेवानिवृत्त एवं श्रीमती ओमवती प्रोपराईटर राज स्पोर्ट्स चूरू का उक्त कृत्य धारा 7, 13(1)क, 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) सपठित धारा 120बी भादस में प्रथम दृष्टया अपराध घटित होना पाया जाता है। अतः श्री ईश्वर सिंह लाम्बा सचिव जिला क्रीडा परिषद चूरू हाल सेवानिवृत्त एवं श्रीमती ओमवती प्रोपराईटर राज स्पोर्ट्स चूरू के विरुद्ध उपरोक्त धाराओं में अभियोग दर्ज करने हेतु प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान् महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर की सेवामें प्रेषित है। (शब्बीर खान) उप अधीक्षक पुलिस, भ्र0नि0 ब्यूरो चूरू.....कार्यवाही पुलिस..... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री शब्बीर खान, उप अधीक्षक पुलिस, भ्र0नि0 ब्यूरो चूरू ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अर्न्तगत धारा 7, 13(1)क, 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) सपठित धारा 120बी भादस में आरोपीगण 1- श्री ईश्वर सिंह लाम्बा पुत्र नारायण सिंह लाम्बा उम्र 63 वर्ष निवासी बी-3 सेक्टर नम्बर 4 सैनिक बस्ती चूरू तत्कालीन सचिव जिला क्रीडा परिषद चूरू हाल सेवानिवृत्त। 2- श्रीमती ओमवती पत्नी श्री ईश्वर सिंह लाम्बा उम्र 59 वर्ष निवासी बी-3 सेक्टर नम्बर 4 सैनिक बस्ती चूरू प्रोपराईटर राज स्पोर्ट्स चूरू के विरुद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गईं। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री शब्बीर खान, उप अधीक्षक पुलिस, भ्र0नि0 ब्यूरो चूरू को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 82 पर अंकित है।(ज्ञान सिंह चौधरी) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1388-92 दिनांक 08-11-2024 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:-1- विशिष्ट न्यायधीश एवं सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, बीकानेर। 2-अध्यक्ष, राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जयपुर। 3-उप महानिरीक्षक पुलिस-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चूरू। 5- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक-परिवाद, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर (परिवाद संख्या 08/2021) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत है):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.):

SABBIR KHAN

Rank

उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

(जाँच अधिकारी का नाम):

(पद):

No(सं.):

to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)

(3) Refused investigation due to

(जाँच के लिए):

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) Transferred to P.S.(थाना):

District (जिला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.


(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति नि:शुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gyan Singh
Choudhary
Location: Rajasthan, IN
Date: 08/11/2024 10:25



15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): GYAN SINGH CHOUDHARY

Rank (पद): SP (Superintendent of Police)

No(सं.):

N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियों और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Buld (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	08/08/1961				
2	Male	1965				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियों/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दोत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्ता)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)